27/08/24 पत्रावली पेश की। वादी अधिवक्ता आए। न्यायालय समय पर वादी का अधिवक्ता को कई बार तीन बार आवाज लगाई, लेकिन वादी की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया, अतः वादी का वाद आदेश 17 नियम 2 के तहत खारिज किया जाता है। पत्रावली फाइल सुपुर्द होकर दाखिल दफ्तर हो। संबंधित नकल हो।

सहायक कलक्टर
(SDO) चौमूहा

Signature Not Verified

Digitally signed by Suraj Bhan Vishnoi
Date: 2024.05.09 17:42:45 IST
Reason: SelfAttested